

जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण

प्रलिस के लयः

उप-वर्गीकरण, राष्ट्ररीय अनुसूचतल जातल आयोग, राष्ट्ररीय पछलडल वरुग आयोग (NCBC), अनुसूचतल जनजातल

मेनुस के लयः

जातलरुं कल उप-वर्गीकरण, सुभेदु वरुगुं कल रकुषल एवं बेहतरी के लयल गठतल तंतुर, वधल, संसुथलन एवं नकलय

[सुरतः द हदु](#)

चरुचल में कुरुं?

भलरत के प्रधलनतंतुरी ने अनुसूचतल जातल (SC) के अंतुरगत आने वलले सलसे पछलडे समुदलरुं कल पहचलन तथल उनकल सलहलयतल करने कल प्रतलबलदधतल वुयकुत कल है, इसने [अनुसूचतल जातल \(SC\)](#) के भीतर [उप-वर्गीकरण](#) के मुदुदे कु लल चरुचल में लल दलल है ।

- इस नरुणुय के परणलमसुवरुप उप-वर्गीकरण कल वैधतल, चुनूतलरुं तथल संभलवतल प्रभलव पर चरुचल शुरु हु गई है ।

जातलरुं के भीतर उप-वर्गीकरण कुल है?

■ परचुलः

- जातलरुं के भीतर उप-वर्गीकरण आरकुषण तथल सकरलरततुक कररुवरुई के लयल [अनुसूचतल जातल \(SC\)](#), [अनुसूचतल जनजातल \(ST\)](#) और [अनुय पछलडल वरुग \(OBC\)](#) कल मूजूदल शुरेणुलरुं के भीतर उप-समूह बनलने कल प्रकुरलल कु संदरुभतल करतल है ।
- उप-वर्गीकरण कल उदुदेशु अंतुर-शुरेणु असमलनतलरुं कल समलधलन करनल तथल समलज के सलसे वंचतल एवं हलशलय पर रहने वलले वरुगुं के बीच ललभ व अवसरुं कल अधकल नुलयसंगत वतलरण सुनशुचतल करनल है ।

■ उप-वर्गीकरण कल वैधतल:

○ ऐतलहलसकल प्रयलसः

- सरुवूच नुलयललय तक पहुँचे इस मलमले में कलनूनी चुनूतलरुं कल सलमनल कर रहे पंजलब, बहलर तथल तमललनलडु जैसे रलजुं ने उप-वर्गीकरण कल प्रयलस कलय है ।

○ संवैधलनकल दुवलधल:

- भलरत के [सरुवूच नुलयललय](#) ने ई.वी. चनलनूयल बनलम आंधुर प्ररदेश रलजु और अनुय, 2004 के मलमले में कल कलकेवल संसद के पलस SC तथल अनुसूचतल जनजातलरुं (ST) कल सूचल बनलने एवं अधसूचतल करने कल अधकलर है ।
- हललूंकल पंजलब रलजु और अनुय बनलम दवदलर सहल एवं अनुय, 2020 के एक अनुय मलमले में पॉच-नुयलयधलशुं कल पीठ ने फूसलल सुनलय कल रलजु पहले से ही अधसूचतल SC/ST कल सूचलरुं में "छेडुछलडु" कलय बनल ललभ कल मलतुरल पर नरुणुय ले सकते है ।
 - वरुष 2004 और 2020 के फूसलुं के बीच वरुलधलभलस के करण वरुष 2020 के फूसले कु बडुी बेंच कु भेजल गलय है ।
- संवधलन के [अनुचुद 16\(4\)](#) में यह अधकलर दलय गलय है कल रलजु अनुसूचतल जातल और अनुसूचतल जनजातल के लयल पदुननतल के मलमलुं में आरकुषण के लयल कुई प्रलवधलन कर सकतल है, यदुवल रलजु के तहत सेवलरुं में परलयपुत रूप से प्रतनलधलतलव नही करते है ।

जातलरुं के भीतर उप-वर्गीकरण कल आवशुयकतल कुरुं है?

- वुयवसलय, शकलषल, आय, सलमलजकल सुथतल और कुषेतुरीय ववलधतल जैसे कररुकुं के आधलर पर SC, ST और OBC शुरेणुलरुं के भीतर एक महतुतुवपूरुण भनलनतल और ववलधतल है ।
 - SC, ST और OBC शुरेणुलरुं के भीतर कुछ प्रमुख एवं प्रभलवशलली उप-समूहुं के अनुपलतहीन तथल वषलम प्रतनलधलतलव के प्रमलण है,

जनिहोंने कमज़ोर तथा अधकि पछिडे उप-समूहों को पीछे छोडते हुए आरक्षण के लाभ के बडे हसिसे पर कब्ज़ा कर लिया है ।

- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर वभिन्न उप-समूहों, जैसे कि **तेलंगाना में मडगिा**, बहिर में पासवान और उत्तर प्रदेश में जाटव द्वारा नषिपक्ष तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनश्चिति करने के लयि उप-वर्गीकरण एवं अलग कोटे की मांग की जा रही है ।

जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं?

- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर वभिन्न उप-समूहों की जनसंख्या और सामाजकि-आर्थकि स्थिति पर **वशि्वसनीय तथा अद्यतन डेटा की कमी है**, जो उप-वर्गीकरण के उद्देश्य एवं वैज्ञानकि आधार को बाधति करता है ।
- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर प्रमुख एवं प्रभावशाली उप-समूहों से **कानूनी तथा राजनीतकि प्रतिक्रिया** की संभावना है, जो उप-वर्गीकरण व आरक्षण लाभ के अपने हसिसे में कमी का वरिोध कर सकते हैं ।
- SC, ST व OBC श्रेणियों के भीतर और अधकि वखिंडन तथा वभिजन का खतरा है, जो उनकी सामूहकि पहचान एवं एकजुटता को कमज़ोर कर सकता है, साथ ही उनके राजनीतकि, सामाजकि सशक्तीकरण को कमज़ोर कर सकता है ।

आगे की राह

- **SC, ST और OBC के भीतर उप-समूहों की जनसंख्या एवं सामाजकि-आर्थकि स्थिति पर एक व्यवस्थति एवं अद्यतन डेटा संग्रह प्रक्रया सुनश्चिति करना ।**
 - साक्ष्य-आधारति नरिणय लेने के लयि एक ठोस आधार प्रदान करने हेतु संपूर्ण जातजिनगणना आयोजति करना ।
- **सामाजकि न्याय और राष्ट्रीय एकता के व्यापक लक्ष्यों के साथ जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को संतुलति करने एवं यह सुनश्चिति करने की आवश्यकता है कि उप-वर्गीकरण समानता तथा गैर-भेदभाव के संवैधानकि सिद्धांतों का उललंघन नहीं करता हो ।**
- सामाजकि न्याय और लाभों के समान वतिरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमकि पर ज़ोर देते हुए उप-वर्गीकरण के पीछे के तरक को स्पष्ट करने हेतु संचार रणनीतियाँ वकिसति करना ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति संगठनों/नकियाँ पर वचिर कीजयि: (2023)

1. राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानव अधकिार आयोग
3. राष्ट्रीय वधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता वविद नविरण आयोग

उपर्युक्त में से कतिने सांवधानकि नकियाय हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (a)